रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1886] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 17, 2009/कार्तिक 26, 1931

No. 1886] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 17, 2009/KARTIKA 26, 1931

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2009

का.आ. 2907(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों पर केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में उल्लिखित उक्त राष्ट्रीय समिति के द्वारा अनुमोदित संस्थानों को अधिसूचित करती है तथा उक्त संस्थानों द्वारा चलाई जाने वाली विनिर्दिष्ट पात्र परियोजनाओं अथवा स्कीमों और उक्त सारणी के कॉलम (3) में यथा उल्लिखित उनकी अनुमानित लागत को अनुमोदित करती है तथा सारणी के कॉलम (4) में ऐसी लागत की अधिकतम राशि को भी विनिर्दिष्ट करती है जिसे उक्त धारा 35 क ग के तहत अनुमोदित अवधि के लिए कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाना है, नामत :

सारणी

क्रम सं0	संस्था का नाम	परियोजना अथवा स्कीम और उसकी अनुमानित लागत	धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाने वाली लागत की अधिकतम राशि
1	2	3	4
1	श्री वाडीलाल एस0 गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट , नेमीनाथजी नी वाडी, वी एस0 गांधी सर्किल , कापडवंज-387620,जिला खेड़ा, गुजरात	ट्रस्ट की गतिविधियों का रख रखाव और विस्तार (लागत 2.45 करोड रूपये)	वर्ष 2009-10 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि अर्थात 2009-2010, 2010-11 और 2011-2012 के लिए 2.45 करोड़ रूपये।
2.	डॉन बोस्को स्कूल , डाकखाना पानबाजार, गुवाहाटी, 781001, असम	डान बास्को सेंटनरी ब्लाक (59.28 लाख रूपये की कार्पस निधि सहित लागत 3.44 करोड़ रूपये)	वर्ष 2009-10 से आरंभ होने वाले वर्ष से दो वित्तीय वर्षों की अवधि अर्थात 2009-2010 और 2010-11 के लिए 59.28 लाख रूपये की कार्पस निधि सहित लागत 3.44 करोड़ रूपये।
3.	स्पेशल ओलंपिक्स गुजरात चैप्टर , 4/16 प्रोफेसर	बौद्धिक रूप से विकलांग बच्चों और वयस्कों के लिए	वर्ष 2009-10 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि

	क्वार्टस , गुजरात विश्वविद्यालय ;बॉयज होस्टल कैम्पस, नवरंगपुरा, अहमदाबाद 380009	और विशेष ओलंपिक्स में भाग लेने के लिए एथलीट कार्यक्रमों के आयोजन हेतु आवर्ती व्यय [1.00 करोड़ रूपये की कार्पस निधि सहित लागत 7.67 करोड़ रूपये]	अर्थात 2009-2010, 2010-11 और 2011-2012 के लिए 1.00 करोड़ रूपये की कार्पस निधि सहित लागत 7.67 करोड़ रूपये
4.	विश्व भारती संस्था , मंदिर वाली शेरी , खुराकुवा सरखेज , तालुका- सिटी, जिला अहमदाबाद 382210 गुजरात	कुशल तथा अकुशल ग्रामीण हस्तकला कलाकारों के लिए प्रशिक्षण सहायता और विस्तार, कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल का उन्नयन और गली के बच्चों का कल्याण [लागत 5.11 करोड़ रूपये]	वर्ष 2009-10 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि अर्थात 2009-2010, 2010-11 और 2011-2012 के लिए 5.11 करोड़ रूपये।
5.	युसूफ मेहराली सेन्टर, डी-15, गणेश प्रसाद, नासिर भरूचा रोड , ताड़देव, मुम्बई- 400007	रोजगार सृजन के माध्यम से समग्र ग्रामीण विकास (तीन साल के लिए 10.8 करोड़ रूपये की कार्पस निधि सहित लागत 27 करोड़ रूपये)	वर्ष 2009-10 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि अर्थात 2009-2010, 2010-11 और 2011-2012 के लिए 10.8 करोड़ रूपये की कार्पस निधि सहित लागत 27 करोड़ रूपये
6.	स्वामी विवेकानंद ग्रामीण विकास सोसायटी, 36, रामानुजम स्ट्रीट, टी नगर , चेन्नई 600017	ग्रामीण साक्षरता और स्वास्थ्य कार्यक्रम (एकल शिक्षक विद्यालय) (3.60 करोड़ रूपये की कार्पस निधि सहित लागत 12.60 करोड़ रूपये)	वर्ष 2009-10 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि अर्थात 2009-2010, 2010-11 और 2011-2012 के लिए 3.60 करोड़ रूपये की कार्पस निधि सहित लागत 12.60 करोड़ रूपये
7.	मानव मंदिर मिशन ट्रस्ट, के एच-57, जैन आश्रम, रिंग रोड, सराय काले खान, नई दिल्ली 110013	अनाथालयों का रखरखाव व भवन का नवीनीकरण (लागत 94.34 लाख रूपये)	वर्ष 2009-10 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि अर्थात 2009-2010 और 2010-11 और 2011-12 के लिए 94.34 लाख रूपये।
8.	संजीवनी हैल्थ एंड रिलीफ कमेटी , मार्फत डा0 पंकज आर शाह, हरि ओम फ्लैट्स , नियर चंदरनगर, नारायणनगर रोड, पालडी, अहमदाबाद 383007, गुजरात	संजीवनी ग्रामीण आरोग्य केन्द्र (लागत 1.83 करोड़ रूपये)	वर्ष 2009-10 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि अर्थात 2009-2010, 2010-11 और 2011-2012 के लिए 1.83 करोड़ रूपये ।
9.	नोएडा लोक मंच, डी-134, सेक्टर 15, नोएडा-201 301	i)नोएडा पब्लिक लाइब्रेरी ii) संस्कार केन्द्र स्कूल iii) संस्कार केन्द्र स्कूल	2009-10 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि अर्थात 2009-2010, 2010-11

		और 155 लाख रूपये)	लिए i)नोएडा पब्लिक लाइब्रेरी ii) संस्कार केन्द्र स्कूल ग्राम होशियारपुर, सेक्टर 51, नोएडा iii) संस्कार केन्द्र स्कूल, गढ़ी चौखंडी , सेक्टर-68 , नोएडा iv)संस्कार केन्द्र स्कूल, ग्राम सारका नोएडा
10.	शिशु निष्ठा निकेतन ट्रस्ट, शिशु निष्ठा निकेतन रोड, क्वाथिलेमाकोबाई , जिला पश्चिम इम्फाल, मणिपुर - 795001	कमजोर वर्गों के लिए विद्यालय, विद्यालय छोड़ने वाले नि:सहाय बच्चे विशेषकर लड़कियों के लिए (51.00 लाख रूपये की कार्पस निधि सहित लागत 473.93 लाख रूपये)	वर्ष 2009-10 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि अर्थात 2009-2010, 2010-11 और 2011-2012 के लिए 51.00 लाख रूपये की कार्पस निधि सहित लागत 473.93 लाख रूपये ।
11.	रतननिधि चैरिटेबल ट्रस्ट , वसंत विलास, पाँचवा तल , 31, डा0 डी0डी0 साठे मार्ग, गिरगांव मुम्बई 400004	शारीरिक रूप से अशक्त लोगों के लिए चलते फिरते शिविर (लागत 3.55 करोड़ रूपये)	वर्ष 2009-10 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि अर्थात 2009-2010, 2010-11 और 2011-2012 के लिए 3.55 करोड़ रूपये
12.	एशाभाई एंड हाजी अब्दुल लतीफ चैरीटेबल ट्रस्ट, निर्माल, 21 वां तल, नरीमन प्वाइंट , मुम्बई 400021	वर्तमान गतिवविधियों का रखरखाव, शिक्षा योजना, मुम्बई , चिकित्सा सहायता और पेयजल सुविधा के लिए नलकूप (लागत 9.76 करोड रूपये)	वर्ष 2009-10 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि अर्थात 2009-2010, 2010-11 और 2011-2012 के लिए 9.76 करोड़ रूपये
13.	ओंकारनंदा एजुकेशनल सोसायटी,स्वामी ओंकारनंदा सरस्वती मार्ग, मुनि- की-रेती, जिला टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड	ओंकारनंदा हिल स्कूल का उन्नयन (9.93 करोड़ रूपये की कार्पस निधि सहित (लागत 28.67 करोड़ रूपये)	वर्ष 2009-10 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि अर्थात 2009-2010, 2010-11 और 2011-2012 के लिए 9.93 करोड़ रूपये की कार्पस निधि सहित 28.67 करोड़ रूपये ।
14.	इस्कॉन फुड रिलीफ फाउन्डेशन , हरे कृष्णा लेंड, जुहू, मुम्बई-400049	राजस्थान राज्य में मध्याह्न भोजन परियोजना (लागत 10.55 करोड़ रूपये)	वर्ष 2009-10 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि अर्थात 2009-2010, 2010-11 और 2011-2012 के लिए 10.55 करोड़ रूपये ।
15.	नवजीवन एजुकशेन	विद्यालय और छात्रावास का	वर्ष 2009-10 से आरंभ होने वाले

	सोसायटी, विन्चुर गवली डाकखाना मडगंगवी, नासिक महाराष्ट्र	विस्तार (लागत 2.98 करोड़ रूपये)	वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि अर्थात 2009-2010, 2010-11 और 2011-2012 के लिए 2.98 करोड़ रूपये)
16.	अलुवा जनसेवा, पो0बा0 सं0 107, अलुआ , जिला- एर्नाकुलम, केरल	i) जनसेवा बॉयज होम फुटबाल ग्राउन्ड ii)मातृ एवं शिशु गृह परियोजना (लागत 50.00 लाख रूपये और 25.00 लाख रूपये)	i) जनसेवा बॉयज होम फुटबाल ग्राउन्ड ii)मातृ एवं शिशु गृह परियोजना के लिए वर्ष 2009-10 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि अर्थात 2009-2010, 2010-11 और 2011-2012 के लिए 50.00 लाख रूपये और 25.00 लाख रूपये
17.	दीपक फाउन्डेशन .9-10 कुंज सोसायटी अल्कापुरी, बड़ौदा 390007	कावंत जीवन यापन परियोजना, कावंत ब्लॉक में धारणीय विकास परियोजना (लागत 12.18 करोड़ रूपये)	वर्ष 2009-10 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि अर्थात 2009-2010, 2010-11 और 2011-2012 के लिए 12.18 करोड़ रूपये
18.	स्वामी समर्थ शिक्षण प्रसारक मंडल, डाकखाना विराग, तालुका बारसी, जिला शोलापुर (महाराष्ट्र)	परियोजना " डंगर (शेफर्ड) डेवलपमेंट प्रोग्राम " जिला शोलापुर, महाराष्ट्र राज्य में नोमेडिक आदिवासियों के लिए एकीकृत विकास कार्यक्रम (लागत 2.87 करोड रुपए)	वर्ष 2009-10 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि अर्थात 2009-2010, 2010-11 और 2011-2012 के लिए 2.87 करोड़ रूपये
19	इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट, महात्मा गांधी हॉस्पिटल – इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट, 12-14, आर आई सी ओ इंस्टटीशूनल एरिया, सीता पुरा, टोंक रोड जयपुर 302022, राजस्थान	महात्मा गांधी अस्पताल – कार्डियक अस्पताल (200 बिस्तरों का अस्तपताल) (लागत 37.00 करोड़ रूपये)	वर्ष 2009-10 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि अर्थात 2009-2010, 2010-11 और 2011-2012 के लिए 37.00 करोड़ रूपये।
20.	जामिया इस्लामिया एस्सातुल उलूम, अलीबाड़ी ,मोल्वी रोड, जिला नंदुरबार, डाकखाना अकालकुआ , महाराष्ट्र - 425415	वर्तमान गतिविधियों का विस्तार और रखरखाव (लागत 17.00 करोड़ रूपये)	वर्ष 2009-10 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि अर्थात 2009-2010, 2010-11 और 2011-2012 के लिए 17.00 करोड़ रूपये।

II. यह अधिसूचना क्रम सं0 2 पर उल्लिखित परियोजना या स्कीम की बाबत वित्तीय वर्ष 2009-2010 और 2010-11 के संबंध में दो वर्षों की अवधि के लिए और उक्त सारिणी की क्रम सं0 1, 3, 4, 5, 6,

7, 8,9,10,11,12,13 , 14,15,16,17,18 ,19 और 20 पर उल्लिखित परियोजनाओं अथवा स्कीमों की बाबत वित्तीय वर्ष 2009-2010, 2010-2011 और 2011-2012 के संबंध में तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगी ।

[सं. 113/2009/फा. सं. V-27015/3/2009-एस ओ (नेट. कॉम)]

नवीन चन्द्र, निदेशक (राष्ट्रीय समिति)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th November, 2009

S.O. 2907(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government, on the recommendations of the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, hereby notifies the institutions approved by the said National Committee, mentioned in column (2) of the Table below, and approves the eligible projects or schemes specified to be carried on by the said institutions and the estimated cost thereof as mentioned in column (3) of the said Table, and also specifies in the column (4) of the Table the maximum amount of such cost which may be allowed as deduction under the said section 35AC for the period of approval, namely:-

TABLE

Serial Number	Name of the Institution	Project or scheme and estimated cost thereof	Maximum amount of cost to be allowed as deduction under section 35AC
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Shri Vadilal S Gandhi Charitable Trust, Neminathji Ni Wadi, V.S Gandhi Circle, Kapadwanj – 387 620, District Kheda, Gujarat.	Maintaining and extending activities of the trust. [Rs.2.45 crore]	Rs. 2.45 crore for three financial years commencing with 2009-2010 i.e. 2009- 2010, 2010-2011 & 2011-2012.
2.	Don Bosco School, P.O Panbazar, Guwahati 781001, Assam.	Don Bosco Centenary Block. [Cost Rs.3.44 crore including a corpus fund of Rs. 59.28 lakh]	Rs.3.44 crore including a corpus fund of Rs. 59.28 lakh for two financial years commencing with 2009-2010 i.e. 2009- 2010 and 2010-2011.
3.	Special Olympics Gujarat Chapter, 4/16 professor Quarters, Gujarat University, Boys Hostel Campus, Navrangpura, Ahmedabad 380009.	Recurring cost for organizing sports meet for intellectually disabled children and adults and for organizing healthy athletes programmes for them to participate in special Olympics. [Cost Rs.7.67 crore including corpus fund of Rs. 1.00 crore.]	Rs.7.67 crore including corpus fund of Rs.1.00 crore. for three financial years commencing with 2009-2010 i.e. 2009- 2010, 2010-2011 and 2011-2012.

4.	Vishwa Bharti Sanstha, Mandirwali Sheri, Khurakuva Sarkhej, Ta- City, District Ahmedabad 382210, Gujarat.	The training- support & Expansion of skilled unskilled rural women handicraft artisan, upgradation of working women hostel and welfare of street children. [Cost Rs. 5.11 crores]	Rs. 5.11 crores for three financial years commencing with 2009-2010 i.e. 2009- 2010, 2010-2011 and 2011-2012.
5.	Yusuf Meherally Centre, D-15, Ganesh Prasad, Naushir Bharucha Road, Tardeo, Mumbai 400 007.	Comprehensive rural development through employment generation. [Cost Rs.27 crore including a corpus fund of Rs. 10.8 crore for three years.]	Rs.27 crore including a corpus fund of Rs. 10.8 crore for three financial years commencing with 2009-2010 i.e. 2009- 2010, 2010-2011 and 2011-2012.
6.	Swami Vivekananda Rural Development Society, 36, Ramanujam Street, T. Nagar, Chennai 600017.	Rural Literacy and Health Programme (single teacher schools). [Cost Rs.12.60 crore including a corpus fund of Rs.3.60 crore]	Rs.12.60 crore including a corpus fund of Rs.3.60 crore for three financial years commencing with 2009-2010 i.e. 2009- 2010, 2010-2011 and 2011-2012.
7.	Manav Mandir Mission Trust, KH –57, Jain Ashram, Ring Road, Sarai Kale Khan, New Delhi 110013.	Orphanage Maintenance and Renovation of Building. [Cost Rs. 94.34 lakh.]	Rs. 94.34 lakh for three financial years commencing with 2009-2010 i.e. 2009- 2010, 2010-2011 and 2011-2012.
8.	Sanjivani Health and Relief Committee, C/o Dr. Pankaj R. Shah, Hari Om Flats, Nr Chandranagar, Narayannagar Road, Paldi, Ahmedabad 3830007, Gujarat.	Sanjivani Gramin Arogya Kendras. [Cost Rs.1.83 crore.]	Rs.1.83 crore for three financial years commencing with 2009-2010 i.e. 2009- 2010, 2010-2011 and 2011-2012.
9.	Noida Lok Manch, D-134, Sector 15, Noida-201301.	i) Noida Public Library. ii) Sanskar Kendra School. iii) Sanskar Kendra School. iv) Sanskar [Cost Rs.169 lakh and Rs. 155 lakh]	Rs.324.00 for 4 projects i.e i) Noida Public Library; ii) Sanskar Kendra School, Hoshiarpur Village, Sector 51, Noida; iii) Sanskar Kendra School,Ghari Chawkandi,Sector-68, Noida; iv) Sanskar Kendra School, Sarka Village, Noida for three financial years commencing with 2009-2010 i.e. 2009- 2010, 2010-2011 and 2011-2012.

10.	Shishu Nistha Niketan Trust, Shishu Nistha Niketan Road, Kwakeithelmayaikoibi, District Imphal West, Manipur – 795 001.	School for weaker section, drop out destitute children priority given to girls. [Cost Rs.473.93 lakh including a corpus fund of Rs.51.00 lakh.]	Rs.473.93 lakhs including a corpus fund of Rs.51.00 lakhs. for three financial years commencing with 2009-2010 i.e. 2009- 2010, 2010-2011 and 2011-2012.
11.	Ratnanidhi Charitable Trust, Vasant Vilas, 5th Floor, 31, Dr. D.D Sathye Marg, Girgaon, Mumbai 400 004.	Mobility Camp for the physically challenged. [Cost Rs. 3.55 crore]	Rs. 3.55 crore for three financial years commencing with 2009-2010 i.e. 2009- 2010, 2010-2011 and 2011-2012.
12.	Aishabai & Haji Abdul Latif Charitable Trust, Nirmal, 21st Floor, Nariman Point, Mumbai 400 021.	Maintenance of Present activities. Education Scheme, Mumbai, Medical Aid and Borewells for providing drinking water facility. [Cost Rs.9.76 crore.]	Rs.9.76 crore for three financial years commencing with 2009-2010 i.e. 2009- 2010, 2010-2011 and 2011-2012.
13.	Omkarananda Educational Society, Swami Omkarananda Saraswati Marg, Muni-Ki-reti, District Tehri Garhwal, Uttarakhand.	Omkarananda Hillschool Upgradation. [Cost Rs. 28.67 crore including a corpus fund of Rs. 9.93 crore]	Rs. 28.67 crore including a corpus fund of Rs. 9.93 crore for three financial years commencing with 2009-2010 i.e. 2009- 2010, 2010-2011 and 2011-2012.
14.	Iskcon Food Relief Foundation, Hare Krishna Land, Juhu , Mumbai –400049.	Mid Day Meal Project in the state of Rajasthan. [Cost Rs.10.55 crore.]	Rs.10.55 crore for three financial years commencing with 2009-2010 i.e. 2009- 2010, 2010-2011 and 2011-2012.
15.	Navjeevan Education Society, At Vinchur Gawali, Post Madgangavi, Nasik, Maharashtra.	Expansion of school & hostel. [Cost Rs.2.98 crore.]	Rs.2.98 crore for three financial years commencing with 2009-2010 i.e. 2009- 2010, 2010-2011 and 2011-2012.
16.	Aluva Janaseva, PB No. 107, Aluva, Ernakulam district, Kerala.	i)Janseva boys home football ground. ii) Mother & child Home project. [Cost Rs. 50.00 lakh and Rs.25.00 lakh]	Rs 50.00 lakh and 25.00 lakh for project (i) Janseva Boys home football ground and (ii) Mother & child Home Project respectively for three

			financial years commencing with 2009-2010 i.e. 2009- 2010, 2010-2011 and 2011-2012.
17.	Deepak Foundation, 9-10, Kunj Society, Alkapuri, Baroda 390007.	Kawant livelihood Project: the sustainable Development of Kawant Block. [Cost Rs. 12.18 crore]	Rs. 12.18 crore for three financial years commencing with 2009-2010 i.e. 2009- 2010, 2010-2011 and 2011-2012.
18.	SWAMI SAMARTH SHIKSHAN PRASARAK MANDAL A/P Vairag, Tal- Barshi Dist- Solapur (Maharashtra)	Project "DHANGAR (SHEPHERD) DEVELOPMENT PROGRAMME" Integrated Development Programme for Nomadic Tribals in Solapur District of Maharashtra State. [Cost Rs.2.87 crore]	Rs.2.87 crore for three financial years commencing with 2009-2010 i.e. 2009- 2010, 2010-2011 and 2011-2012.
19.	India Education Trust, Mahatma Gandhi Hospital- India Education Trust, 12-14, RIICO Institutional Area, Sitapura, Tonk Road, Jaipur – 302022, Rajasthan.	Mahatma Gandhi Hospital-Cardiac Hospital (200 bedded hospital). [Cost Rs.37.00 crore]	Rs.37.00 crore for three financial years commencing with 2009-2010 i.e. 2009- 2010, 2010-2011 and 2011-2012.
20.	Jamia Islamia Ishaatul Uloom, Amlibari Molgi Road, District Nandurbar, A/P. Akkalkuwa, Maharashtra–425415.	Maintenance and expansion of present activities. [Cost Rs.17.00 crore.]	Rs.17.00 crore for three financial years commencing with 2009-2010 i.e. 2009- 2010, 2010-2011 and 2011-2012.

II. This notification shall remain in force for a period of two years in relation to financial years 2009-2010 and 2010-2011 in respect of project or scheme mentioned at serial number 2 and for a period of three years in relation to financial years 2009-2010, 2010-2011 and 2011-2012 in respect of projects or schemes mentioned at serial numbers 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20 of the said Table.

[No. 113/2009/F. No. V-27015/3/2009-SO (NAT. COM)]

NAVEEN CHANDRA, Director (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2009

का.आ. 2908(अ).— जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की देनांक 17 जून , 2008 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 1462 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने सोसायटी फार ो वेलफेयर ऑफ दी फिजीकली हैंडीकेप्ड(रिसर्च सेन्टर), वानवाड़ी, पूणे -411040 द्वारा " विकलांग ाच्चों के लिए बालिका छात्रावास और ट्वीनिंग केन्द्र" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2008-2009 से ारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 ; पर अधिसूचित किया था,

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो ग़ाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, यह समिति आयकर नेयमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम के संस्थान के नाम बदलने को विनिर्दिष्ट करती है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, एतदद्वारा, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए
(क) सोसायटी फार दी वेलफेयर ऑफ दी फिजीकली हैंडीकेंप्ड (रिसर्च सेन्टर), वानवाड़ी, पूणे -411040 द्वारा चलाई जा रही " विकलांग बच्चों के लिए बालिका छात्रावास और ट्वीनिंग केन्द्र " की परियोजना अथवा स्कीम को एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।
(ख) दिनांक 17 जून , 2008 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 1462(अ0) में निम्नलिखित सीमा तक संशोधन करती है नामत:
. उक्त अधिसूचना के क्रम सं0 6 के सामने की सारणी में कॉलम (2), जो संस्थान के नाम से संबंधित है, "सोसायटी फार दी वेलफेयर ऑफ दी फिजीकल हैंडीकेप्ड(रिसर्च सेन्टर), वानवाड़ी, पूणे -411040 "अक्षर और शब्द के स्थान पर " दी सोसायटी फार दी वेलफेयर ऑफ दी डिफेरेन्टली एबल्ड पर्सन्स (फिजीकली हेंडीकैप्ड) एजुकेशन एंड रिसर्च सेन्ट, वानवाड़ी पूणे - 411040 " शब्द, और अक्षर प्रतिस्थापित किये जाएंगे ।

[सं. 114/2009/फा. सं. वी-27015/3/2009-एस ओ (एन सी)]

नवीन चन्द्र, निदेशक (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th November, 2009

S.O. 2908(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance tment of Revenue) number S.O.1462(E) dated the 17th June, 2008, issued under clause (b) of the ation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had l at serial number 6, "Girls hostel and twining centre for handicapped children" by The Society for lfare of the Physically Handicapped (Research Centre), Wanwadi, Pune - 411040, as an eligible or scheme for a period of three years beginning with financial year 2008-2009;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for changing the name of the institution;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), -
(a) hereby specifies the scheme or project "Girls hostel and twining centre for handicapped children", which is being carried out by The Society for the Welfare of the Physically Handicapped (Research Centre), Wanwadi, Pune - 411040;
(b) further amends the said notification number S.O.1462(E) dated the 17th June, 2008, to the following effect, namely :-

In the said notification, in the Table against serial number 6, in column (2) relating to name of the institution, for the letters and words "The Society for the Welfare of the Physically Handicapped (Research Centre), Wanwadi Pune - 411040", the letters, and words "The Society for the Welfare of the Differently Abled Persons (Physically Handicapped) Education and Research Centre, Wanwadi Pune - 411040" shall be substituted.

[No. 114/2009/F. No. V-27015/3/2009-SO (NAT. COM)]
NAVEEN CHANDRA, Director (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2009

का.आ. 2909(अ).— जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 2 जुलाई , 1996 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 469 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने श्री हरी पब्लिक चैरीटेबल ट्रस्ट , 5/ए, कृष्णा सोसायटी , लॉ गार्डन के समीप , एलिस ब्रिज अहमदाबाद , गुजरात द्वारा " सचीना उप पंचायत, ग्राम हरीपुर, तालुक वीरग्राम, जिला अहमदबाद गुजरात में निर्माण , उपस्करों व सभी सुविधाओं सहित वृद्धाश्रम और नेत्र अस्पताल " की परियोजना को निर्धारण वर्ष 1997-1998 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 7 पर विनिर्दिष्ट किया था, जिसे बाद में दिनांक 18 नवम्बर , 1999 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 1145 (अ0) द्वारा निर्धारण वर्ष 2000-2001 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था, जिसे बाद में दिनांक 29 सितम्बर, 2003 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 1131 (अ0) द्वारा वित्तीय वर्ष 2003-2004 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था तथा जिसे बाद में दिनांक 26 अक्तूबर , 2006 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 1839 (अ0) द्वारा वित्तीय वर्ष 2006-2007 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से दो वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के ग्यारह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, एतदद्वारा आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री हरी पब्लिक चैरीटेबल ट्रस्ट , 5/ए, कृष्णा सोसायटी , लॉ गार्डन के समीप , एलिस ब्रिज अहमदाबाद , गुजरात द्वारा चलाई जा रही " सचीना उप पंचायत, ग्राम हरीपुर,

तालुक वीरग्राम, जिला अहमदबाद गुजरात में निर्माण , उपस्करों व सभी सुविधाओं सहित वृद्धाश्रम और नेत्र अस्पताल " की परियोजना अथवा स्कीम को 87.52 लाख रुपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना, वित्तीय वर्ष 2008-09 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि, अर्थात 2008-09, 2009-10 और 2010-11 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है। जबकि वित्तीय वर्ष 2008-2009 पहले ही समाप्त हो चुका है इसलिए वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान एकत्रित की गई निधियों के संबंध में मान्य नहीं होगा और वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिए अनुदान छूट के लिए संबंधी प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

[सं. 115/2009/फा. सं. वी-27015/3/2009-एस ओ (एन सी)]

नवीन चन्द्र, निदेशक (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th November, 2009

S.O. 2909(E).—Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance epartment of Revenue) number S.O.469(E) dated the 2nd July, 1996, issued under sub-section (1) read th clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central vernment had notified at serial number 7, "Construction, equipments with all amenities of udhashram and Eye Hospital at Sachina Sub-Panchayat, Village Haripur, Taluk Viramgam District medabad, Gujarat" by Shri Hari Public Charitable Trust, 5/A, Krishna Society, Near Law Garden, isbridge, Ahmedabad-6, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with essment year 1997-1998, which was extended further vide notification number S.O.1145(E) dated the h November, 1999 for a period of three years beginning with assessment year 2000-2001, which was ended further vide notification number S.O.1131(E) dated the 29th September, 2003 for a period of ee years beginning with assessment year 2003-2004 and which was extended further vide notification nber S.O.1839(E) dated the 26th October, 2006 for a period of two years beginning with financial year)6-2007;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond eleven years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being sfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under -rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a her period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) l with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby ifies the scheme or project "Construction, equipments with all amenities of Vrudhashram and Eye spital at Sachina Sub-Panchayat, Village Haripur, Taluk Viramgám District Ahmedabad, Gujarat" ng carried out by Shri Hari Public Charitable Trust, 5/A, Krishna Society, Near Law Garden, sbridge, Ahmedabad-6, without any change in the approved cost of Rs.87.52 lakh , as an eligible ject or scheme for a further period of three years beginning with financial year 2008-2009 i.e. 2008-09, 9-2010 & 2010-2011. However, since the financial year 2008-2009 has already elapsed, the approval l not be valid in respect of funds collected during the financial year 2008-2009 and no certificate for mption of donation u/s 35AC (1) of the IT Act, 1961 shall be issued for financial year 2008-2009.

[No. 115/2009/F. No. V-27015/3/2009-SO (NAT. COM)]

NAVEEN CHANDRA, Director (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2009

का.आ. 2910(अ).— जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के अंतर्गत जारी की गयी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 20 मई,2004 की अधिसूचना सं0सां0आ0 604 (अ0) द्वारा केन्द्र सरकार ने एच. बी. एस. ट्रस्ट, (मानव हित सेवा न्यास) 21-सी, पहली मंजिल, रत्नाडा, जोधपुर - 342001 (राजस्थान) द्वारा "स्कूल और अस्पताल की स्थापना और चलाने की परियोजना को वित्त वर्ष 2003-2004 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 10 पर अधिसूचित किया गया था; जिसे आगे दिनांक 29 मार्च,2007 की अधिसूचना सं0सां0आ0 484 (अ0) द्वारा वित्त वर्ष 2006-2007 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया गया था ।

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के 6 वर्ष से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्वि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एच. बी. एस. ट्रस्ट, (मानव हित सेवा न्यास) 21-सी, पहली मंजिल, रत्नाडा, जोधपुर - 342001 (राजस्थान) द्वारा "स्कूल और अस्पताल की स्थपना और चलाने" की परियोजना या स्कीम को 500.00 लाख रुपये की कार्पस निधि सहित 937.74 लाख रुपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2009-2010 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. 116/2009/फा. सं. वी–27015/3/2009–एस ओ (एन सी)]

नवीन चन्द्र, निदेशक (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th November, 2009

S.O. 2910(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.604(E) dated the 20th May, 2004, issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 10, "Establishment and running of the school and hospital" by H.B.S. Trust, (Human Benefits Service Trust) 21-C, First Floor, Ratanada, Jodhpur – 342001, (Rajasthan), as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2003-2004 and which was extended further vide notification number S.O.484(E) dated the 29th March, 2007 for a period of three years beginning with financial year 2006-2007;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond six years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being sfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under -rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a her period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) l with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby fies the scheme or project "Establishment and running of the school and hospital" being carried out by .S. Trust, (Human Benefits Service Trust) 21-C, First Floor, Ratanada, Jodhpur – 342001, (Rajasthan), ıout any change in the approved cost of Rs.937.74 lakh including a corpus fund of Rs.500.00 lakh , as ligible project or scheme for a further period of three years beginning with financial year 2009-2010 2009-10, 2010-2011 & 2011-2012.

[No. 116/2009/F. No. V-27015/3/2009-SO (NAT. COM)]

NAVEEN CHANDRA, Director (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2009

का.आ. 2911(अ).— जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के अंतर्गत जारी की गयी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 15 फरवरी,2007 की अधिसूचना सं0सां0आ0 234 (अ0) द्वारा केन्द्र सरकार ने द पूना ब्लाइंड मेन'स एसोसिएशन, 82, रास्ता पेथ, पुणे -411011(महाराष्ट्र) द्वारा "पीबीएमए का कांतालक्ष्मी शाह आंखों का अस्पताल" की परियोजना को वित्त वर्ष 2006-2007 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 6 पर अधिसूचित किया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के 3 वर्ष से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्दि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढाने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए द पूना ब्लाइंड मेन'स एसोसिएशन, 82, रास्ता पेथ, पुणे -411011(महाराष्ट्र) द्वारा चलाई जा रही "पीबीएमए का कांतालक्ष्मी शाह आंखों का अस्पताल" की परियोजना या स्कीम को 7.33 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2009-2010 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि, अर्थात 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. 117/2009/फा. सं. वी-27015/3/2009-एस ओ (एन सी)]

नवीन चन्द्र, निदेशक (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th November, 2009

S.O. 2911(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.234(E) dated the 15th February, 2007, issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 6, "PBMA's Kantalaxmi Shah Eye Hospital" by The Poona Blind Men's Association, 82, Rasta Peth, Pune – 411011, (Maharashtra), as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2006-2007;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "PBMA's Kantalaxmi Shah Eye Hospital" being carried out by The Poona Blind Men's Association, 82, Rasta Peth, Pune – 411011, (Maharashtra), without any change in the approved cost of Rs.7.33 crore , as an eligible project or scheme for a further period of three years beginning with financial year 2009-2010 i.e. 2009-10, 2010-2011 & 2011-2012.

[No. 117/2009/F. No. V-27015/3/2009-SO (NAT. COM)]

NAVEEN CHANDRA, Director (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2009

का.आ. 2912(अ).— जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के अंतर्गत जारी की गयी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 5 जुलाई,2006 की अधिसूचना सं0सां0आ0 998 (अ0) द्वारा केन्द्र सरकार ने विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा संघ, आर-20/11,रघुनाथपुर, कोलकता- 700059, पश्चिमी बंगाल द्वारा "प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल हेतु घर-घर जाने की गहन गृह कार्यक्रम" की परियोजना को वित्त वर्ष 2006-2007 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 12 पर अधिसूचित किया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के 3 वर्ष से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्वि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा संघ, आर-20/11,रघुनाथपुर, कोलकता- 700059, पश्चिमी बंगाल द्वारा चलाई जा रही "प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल हेतु घर-घर जाने का गहन गृह कार्यक्रम" की परियोजना या स्कीम को 1.74 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना, वित्तीय वर्ष 2009-2010 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. 118/2009/फा. सं. वी–27015/3/2009–एस ओ (एन सी)]

नवीन चन्द्र, निदेशक (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th November, 2009

S.O. 2912(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.998(E) dated the 5th July, 2006, issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 12, "Intensive home visit program is the door to reach the primary health care" by Vivekananda Swasthaya Seva Sangha, R-20/11, Raghunathpur, Kolkata – 700059, West Bengal, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2006-2007;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Intensive home visit program is the door to reach the primary health care" being carried out by Vivekananda Swasthaya Seva Sangha, R-20/11, Raghunathpur, Kolkata – 700059, West Bengal, without any change in the approved cost of Rs.1.74 crore , as an eligible project or scheme for a further period of three years beginning with financial year 2009-2010 i.e. 2009-10, 2010-2011 & 2011-2012.

[No. 118/2009/F. No. V-27015/3/2009-SO (NAT. COM)]

NAVEEN CHANDRA, Director (National Committee)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.